निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 01/2020 (RCMS : 2020/ 00296) अनवान 1. भादू विधवा स्वर्गीय श्री भैराराम आयु 65 वर्ष निवाासी गांव 596 एलएनपी लालेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 2. संतोष विधवा स्वर्गीय देवीलाल पुत्र भैराराम आयु 35 वर्ष, निवासी 59 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 3. रामेश्वरी बाई पुत्री स्वर्गीय भैराराम पत्नी वीरूराम जाति मेघवाल आयु लगभग 30 वर्ष निवासी 59 एलएनपी तहसील पदमपुर हाल 8 बीएलडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास) एवं पदेन प्रबन्धक उपाखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर 2. कृष्ण कुमार पुत्र स्वर्गीय टीकूराम 3. हनुमान पुत्र स्वर्गीय टीकूराम 4.मनीराम पुत्र स्वर्गीय टीकूराम 5. भजनलाल पुत्र स्वर्गीय टीकूराम 6. सरबती पुत्री स्वर्गीय टीकूराम 7. शान्ति पुत्री स्वर्गीय टीकूराम 8. गोगा देवी पुत्री टीकूराम 9. गीतादेवी पुत्री स्वर्गीय बुधराम पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासीगण 59 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 10. पप्पू पुत्र भैराराम जाति मेघवाल आयु लगभग 26 साल निवासी गांव 59 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित है। प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2021 एवं 07.07.2021 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पक्षकारों का आपसी राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थीगण उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अतः उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर राजीनामा के आधार पर दाखिल दफ्तर किया जावे।

अप्रार्थीगण 3 से 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह ने प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2021 एवं 07.07.2021 पर कोई कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:48 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता ने भी कथन किया कि उक्त प्रकरण में कोई राजकीय हित सम्माहित नहीं है इसलिए यदि प्रकरण को राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण बादू देवी, संतोष एवं रमेश्वरी द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी(पुर्नवास) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.03.2004 के विरूद्ध उक्त निगरानी पेश की है जिसमें डीपीसीएण्ड आर एक्ट 1954 रिपील होने के कारण प्रकरण में दिनांक 19.12.2005 को कार्यवाही समाप्त कर दी थी। प्रार्थी बादू देवी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2020 पेश कर पूर्व प्रकरण संख्या 06/2004 में दिनांक 19.12.2005 को समाप्त की गई कार्यवाही को पुनः चालू करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर उक्त प्रकरण में पुनः कार्यवाही शुरू की गई। अब चूंकि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2021 एवं 07.07.2021 को जरिये अभिभाषक श्री सुभाष मिढा के प्रस्तुत कर, प्रार्थना की है कि पक्षकरों का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण वे अब आगे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए इसी स्टेज पर इसी आधार पर प्रकरण में कार्यवाही समापत की जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह ने भी इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

चूंकि राजकीय अधिवक्ता के कथनानुसार भी इस प्रकरण में कोई राज्यहित प्रभावित नहीं होता है इसलिए उक्त निगरानी में राजीनामा के आधार पर कार्यवाही समाप्त की जानी उचित होगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल पत्रावली पुनः जिला अभिलेखागार में जमा हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:48 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमीश्नर
एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर